कार्यालय प्राचार्य, संजय गॉधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)

क्रमांक 1715 /ज.भा.स./2021 सीधी दिनांक– 24.12.2021

विज्ञापन का प्रारूप

संजय गॉधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी में जनभागीदारी के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में सत्र 2021–22 के लिये रिक्त पदों पर विषयवार अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के सचिव की ओर से आमंत्रित किये जाते है।

क्रं.	विषय/पाठ्यकम का नाम	पद	योग्यता	मानदेय
1	हिन्दी साहित्य	1	एम.ए. हिन्दी/एम.फिल/पी.एचडी.	11,000.00 रू. प्रतिमाह
2	अंग्रेजी साहित्य	1	एम.ए. अंग्रेजी/एम.फिल/पी.एचडी.	11,000.00 रू. प्रतिमाह
3	इतिहास	1	एम.ए. इतिहास/एम.फिल/पी.एचडी.	11,000.00 रू. प्रतिमाह
1	समाजशास्त्र	1	एम.ए. समाजशास्त्र/एम.फिल /पी.एचडी.	11,000.00 रू. प्रतिमाह

टीपः–

1. सचिव/प्राचार्य को आमंत्रण पत्र जारी करने का अधिकार होगा। विज्ञापन का आशय कदापि यह नही होगा कि जितने पद विज्ञप्ति किये गये है उतने ही आवेदको को आमंत्रण पत्र जारी किये जाएं।
2. अतिथि विद्वानो को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है। नेट/पी.एच.डी. धारक प्रथम वरीयता, एम.फिल. धारक द्वितीय वरीयता एवं स्नातकोत्तर की तृतीय वरीयता प्रदान की जावेगी।
3. अतिथि विद्वानो का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा। पैनल बनाने का कार्य सामान्यतः यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए तथा म.प्र. शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय पत्र कमांक 969/एफ–1–9/2016/ 38–1/दिनांक 08.08.2016 में वर्णित चयन मापदण्ड के अनुरूप किया जावेगा। यह नियम उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।
4. हिन्दी,अंग्रेजी दोनो माध्यम से शिक्षण कार्य करने वाले को प्राथमिकता की जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति संजय गॉधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नताकोत्तर महाविद्यालय सीधी म.प्र. के नाम प्रेषित किया जावेगा जिसमें समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
6. लिफाफे पर प्राचार्य/ सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित विषय का नाम, पदनाम एंव कमांक स्पष्ट रूप से लिखें। (लिफाफे पर जानकारी स्पष्ट न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा)
7. आवेदन पत्र डाक या स्वयं कार्यालयीन समय में महाविद्यालय में उपस्थित होकर विज्ञापन जारी होने के 10 दिवस के अंदर जमा कर सकते है। डाक की देरी के लिये महाविद्यालय जिम्मेदार नही होगा।
8. सभी पद पूर्णतः अस्थाई एवं मध्यप्रदेश शासकीय सेवा का भाग न होकर मानदेय के आधार पर है। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के हटाने का अधिकार प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी के पास होगा। वर्तमान सत्र में जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक ही अध्यापन हेतु रखा जायेगा।
9. महाविद्यालय प्राचार्य/सचिव को जनभागीदारी समिति की चयन प्रकिया निरस्त करने अथवा संशोधन करने का वैधानिक अधिकार होगा।

प्राचार्य/सचिव
जनभागीदारी समिति
सं.गॉ.स्मृ.शा.महा.सीधी (म0प्र0)

पृ0क्र./ 1716 /ज.भा.स./2021 सीधी,दिनांक– 24.12.2021

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.)
2. दैनिक समाचार पत्र .... कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में लगभग रू. 3000.00 (रू. तीन हजार मात्र) की सीमा के अंदर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. विभागीय बेवसाईट।
4. संबंधित विभागाध्यक्ष/जनभागीदारी शाखा/मुख्य लिपिक/लेखापाल/नोटिस बोर्ड।

प्राचार्य/सचिव